भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 548

दिनांक 25 जून, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: मात्स्यिकी के विकास हेतु आधारभूत ढांचा

548. श्री वाई॰एस॰ अविनाश रेड्डीः

क्या मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने और मत्स्य पालन के विकास के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है और इसके लिए 7,522 करोड़ रु॰ विनिर्दिष्ट किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु तेलंगाना राज्य को प्रदान की जा रही धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री प्रताप चंद्र सारंगी)

(क) से (ग)- जी, मत्स्यपालन सैक्टर की ढ़ाचागत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने वर्ष 2018-19 के दौरान मत्स्यपालन और एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रचर डेवलपमैण्ट फंड (एफ.आई.डी.एफ.) के नाम से कुल 7522.48 करोड़ रु. की राशि का फंड बनाया है। एफ.आई.डी.एफ. चिह्नित मत्स्यपालन ढ़ाचागत सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों और राज्य स्थित संस्थाओं सहित पात्र एनटिटिज़ को रियायती वित्त उपलब्ध कराता है। यह रियायती वित्त नोडल ऋण देने वाली संस्थाओं (एन.एल.ई.) यथा (i) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) (ii) राष्ट्रीय विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) और (iii) सभी अनुसूचित बैंकों द्वारा प्रदान किया जाता है, भारत सरकार एन.एल.ई. द्वारा 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर रियायती वित्त प्रदान करने के लिए 3% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता प्रदान करती है। एफ.आई.डी.एफ. के तहत 5 वर्ष तक ऋण देने का प्रवधान है तथा इसके पुनर्भुगतान की अधिकतम अवधि 12 वर्ष के लिए होती है, जिसमें मूलधन के पुनर्भुगतान के 2 वर्ष का विलम्ब काल भी शामिल है। एफ.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत तेलगांना सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

*****